न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 8/2018

सन्ती उर्फ ब्यासो देवी उर्फ रामप्यारी पुत्री होशनाकु पत्नी रोशनलाल जाति चौधरी (द्विथ) निवासी भोलखास तहसील ज्वाली जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश। —अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपढ। ——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि. 19556

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 04.01.2018

उपस्थित–

श्री श्री एम.एस. नन्दा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 02.02.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 30.10.2017 को एक प्रा.पत्र शिमला उच्च न्यायालय से प्रार्थीया की रिट सं. 2419/2016 सन्ती उर्फ ब्यासो बनाम स्टेट व अन्य निर्णय दिनांक 03.10.2016 में प्रकरण सुनवाई कर बकाया किश्तों में निरस्त रकबा की बकाया किश्तें जमा करवाकर चक 6 बी के मु.नं. 179/25 का 25 बीघा आवंटन बहाल करने हेतु पेश किया था। उक्त प्रा.पत्र पर सुनवाई करने के पश्चात जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने दिनांक 04.01.2018 को आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को इस आशय का पत्र लिखा कि प्रकरण में नियमानुसार भूमि का आवंटन करावें ताकि माननीय उच्च न्यायालय की सम्भाविक अवमानना से बचा जा सके। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी 2/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र शिमला उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.10.2016 की पालना में आवंटन बहाल करने का निवेदन किया था। अधी. न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों को अपीलांट के पक्ष में माना है एवं पत्रावली में आवंटन बहाल न कर आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवा दिया जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर द्वारा पत्र आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को भेजा है। उनके द्वारा ही कार्यवाही करनी है। अपील के माध्यम से अपीलांट को कोई राहत नहीं दी जा सकती। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.01.2018 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अपीलांट को Bonafied पोंग बांध निर्माण का विस्थापित माना जाकर आवंटन की पात्रता प्रमाणित मानते हुए आवंटन की स्पष्ट अभिशंषा की गई है परन्तु आवंटन हेतु आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को लिखा गया है जबकि आवंटन की सक्षमता उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ में निहित होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय द्वारा अपने पत्र कमांक एफ12(2)562–अभ्यावेदन/राजस्व/16/172 दिनांक 04.01.2018 जो आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को सम्बोधित है में प्रकरण के सभी पहलुओं का परीक्षण एवं विवेचन किया है कि कि पौ.बा.वि. होशनाकू पुत्र गोधू को दिनांक 23.6.73 को चक 6पी के मु.न. 179/25 का आवंटन हुआ जिसकी प्रथम किश्त जमा करवाकर कब्जा प्राप्त किया गया। आवंटी का आवंटन किश्त राशि जमा नही करवाये जाने के कारण दिनांक 28.2.77 को खारिज किया गया। उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर ने पुनः दिनांक 14.5.92 को पौ.बा.वि. का आवंटन निरस्त कर भूमि का आवंटन नियम 6ए में रमेशरानी उर्फ सुदेशरानी पुत्री नारायणदास पत्नी रमेशकुमार जाति अरोडा को दिनांक 18.6.92 को किया गया। पौ.बा.वि. को आवंटित

2/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

भूमि का आवंटन दिनांक 28.02.77 को पूर्व में ही निरस्त था, उसके उपरान्त भी उप जिला कलक्टर रायसिहनगर ने दिनांक 14.5.92 को पुनः भूमि का आवंटन निरस्त कर उक्त भूमि नियम 6ए में आवंटित की गई। नियम 6ए में आवंटित प्रकरण का माननीय विशिष्ठ न्यायालय द्वारा पुर्नावलोकन कर उप जिला कलक्टर के भूमि आवंटन के निरस्ती आदेश दिनांक 14.5.92 को अपास्त कर दिया है एवं भूमि पूर्व में ही पौ.बा.वि. आरक्षित रकबा राज थी इसलिये इसका निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किये जाने के आदेश दिये गये। वर्तमान में पौ.बा.वि. आरक्षित रकबा राज दर्ज है जिस पर गैर पौ.बा.वि. अतिकमी के रूप में काबिज है। भूमि विवादित होने के कारण इसका आवंटन नही किया जा सकता है। पौ.बा.वि. होशनाकू पुत्र गोधू का आवंटन किश्त राशि जमा नही करवाने एवं नियम उल्लघंन में खारिज किया गया है, इसलिये इनको अन्य भूमि दी जानी है। बशर्ते की उनके द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन प्राप्त नही किया गया हो। उपायुक्त, राहत एंव पुनर्वास, राजा का तालाब द्वारा प्रकरण में भूमि आवंटन करने की अनुशंषा की है। गंगानगर जिले में पौ.बा.वि. के लिये विवाद रहित कमाण्ड भूमि उपलब्ध नही है। जिसके कारण गंगानगर जिले में भूमि का आवंटन नही किया जा सका है। प्रार्थी के प्रकरण में भूमि का आवंटन किया जाना अपेक्षित है। शासन के निर्देशानुसार गंगानगर जिले में पौ.बा.वि. के लिये विवाद रहित कमाण्ड भूमि उपलब्ध नही होने की स्थिति में प्रकरण स्पष्ट अभिशंषा सहित जिला कलक्टर बीकानेर को भिजवाने के निर्देश है। जिला कलक्टर, बीकानेर ने अवगत कराया है कि उनके अधिनस्थ पौ.बा.वि. के आरक्षित विवाद रहित कमाण्ड भूमि उपलब्ध नही है। इसलिये इस प्रकरण में कार्यवाही आपके द्वारा की जानी है। अतः प्रकरण आपको प्रेषित किया जा रहा है। अतः शासन के पत्र दिनांक 02.12.15 के कम में कार्यालय की पत्रावली में उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेज एवं शासन से प्राप्त निर्देशानुसार पाँग बांध विस्थापित भूमि आवंटन किये जाने का पात्र है। उक्तानुसार याची / पौ.बा.वि. को भूमि आवंटन किये जाने की स्पष्ट अनुशंषा की जाती है। प्रकरण में भूमि का आवंटन करने से पूर्व याची/पौ.बा.वि. से यह शपथ पत्र लिया जाना उचित होगा कि उसके या उसके परिवार के द्वारा पूर्व में इस प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार का क्लेम/आवंटन प्राप्त नही किया गया है। उप जिला कलक्टर अनूपगढ के पत्रांक

2/2/18

राजस्व अपील प्राधिकारी

609 दिनांक 30.3.17 से प्राप्त पत्रावली सं. 3164/23.6.73 होश्नाकू पुत्र गोधू पेज–14, प्र.सं. 945/28.2.77 होश्नाकू पुत्र गोधू पेज–6, प्र.सं. 243/97 दि. 18.8.98 माननीय विशिष्ठ न्यायालय के निर्णय की प्रति, याची द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एंव उस पर प्राप्त अनुशंषा की प्रति सलंग्न है। अतः प्रकरण में नियमानुसार भूमि का आवंटन करावें ताकि माननीय उच्च न्यायालय की संभावित अवमानना से बचा जा सके। पौ.बा.वि. की मृत्यु होने की दशा में उसके समस्त वारिसान को नियमानुसार सुनकर कार्यवाही की जानी उचित होगी।

प्रकरण में अपीलांट की पात्रता प्रमाणित है। आवंटन की स्पष्ट अभिशंषा है परन्तु अपीलांट के पूर्वज होशनाकु पुत्र गोधू को तहसील अनूपगढ के चक 6 पी का मु.नं. 179/25 का 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसकी किश्तें जमा करवाने के अभाव में खारिज किया गया था। भूमि अपीलांट के कब्जे में होकर अपीलांट एक विधवा महिला होकर भूमि विकास कुमार पुत्र रमेश कुमार को sub-let की गई है जो राज.काश्त.अधि.1955 की धारा 46(डी) का संरक्षण अपीलांट को प्राप्त है बाबत विकास कुमार का शपथ पत्र दिनांक 22.03.2016 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें अंकित किया है कि मनके विकास कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति अरोडा निवासी अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला हूँ जो निम्न शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :–

1. चक 6 पी का मु.नं. 179/25 का 25 बीघा रकबा सन्ती उर्फ ब्यासा देवी पुत्री होशनाकु द्वारा मेरे से अपने परवेक्षण में काश्त करवाया जाता है अन्य इस रकबा से मेरा कोई हित नहीं है तथा न ही उक्त रकबा का मिकर मालिक काबिज है।
2. यह कि उक्त रकबा सन्ती उर्फ ब्यासा देवी के पिता होशनाकु को बतौर पो.बां. विस्थापित आवंटन हुआ था।
3. यह कि मिकर द्वारा बतौर मैनेजर रकबा के मैनेजमेंट काश्त बाबत करने का मेहनताना सन्ती उर्फ ब्यासा देवी लिया जाता है।

मै हल्फन शपथ पूर्वक ब्यान करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र की मद सं. 1 से 3 में लिखाए तथ्य तमाम मेरी निजी जानकारी व विश्वास से सही एवं सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे। दिनांक 22.03.2016।

2/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त के अतिरिक्त अधी. न्यायालय की पत्रावली का पृष्ठ सं. 119 पर तहसीलदार अनूपगढ का पत्र संदर्भित है जिसमें अंकित किया है कि कार्यालय तहसील अनूपगढ क्रमांक मू.अ./86/2397 दिनांक 02.05.86, प्रेषिति अधिशाषी अभियन्ता सी.ए.डी., सिंचाई वितरिका खण्ड अनूपगढ। विषयः– चक 6 डी का मु.नं. 179/25 , 25 बीघा को पानी की सुविधा प्रदान करने बाबत। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त रकबे पर हाई कोर्ट जोधपुर का स्थगन आदेश आवंटी को बेदखल न करने एवं यथास्थिति रखने का प्राप्त है। अतः आप अपीलांट श्रीमती सरस्वती देवी बेवा होशनाकु साकिन 6 पी के नाम उक्त रकबे की पानी की सुविधा प्रदान करने की नियमानुसार व्यवस्था फरमावे।

उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि खारिजशुदा भूमि अपीलांट के पास है एवं एक तरह से निर्विवाद रूप से आवंटन बहाली योग्य थी फिर भी आवंटन बहाली के बजाए प्रकरण आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर को भेजने का औचित्य प्रमाणित नहीं है। जैसाकि राजस्थान उपनिवेशन (Allotment and Sale of Government Land to Pong Dam Oustees and their transferees in the Indira Gandhi Canal Colony) Rules 1972 के नियम 2(i) ii में Alloting Authority कलक्टर है, किया है तथा कलक्टर की परिभाषा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 2(i) में दर्शायी है जिसकी Bare reading है कि 2 Definition (i) Collector (a) any officer appointed by the State Government to perform all or any of the functions and exercise all or any of the powers of the Collector under this Act. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(17)राज./उप./84 जयपुर दिनांक 26.05.1987 में स्पष्ट किया है कि आयुक्त उपनिवेशन की समस्त शक्तियां जिला कलक्टर गंगानगर को दी गई है सन्दर्भ परिपत्र का पठन है कि राजस्थान सरकार, राजस्व उपनिवेश विभाग, क्रमांक प.4(17)राज./उप/84 जयपुर दिनांक 26.05.1987 राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय)नियम 1975 के नियम 2(i) (ii) एवं राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में पों.बां. विस्थापितों को राजकीय भूमि के आवंटन नियम, 1972 के नियम 2(i) ( ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को राज्य सरकार द्वारा समाप्त की गई उपनिवेशन तहसील अनूपगढ व उपनिवेशन तहसील

घडसाना मुख्यावास अनूपगढ के प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उक्त नियमों के अधीन कमशः नियम 23 व नियम 10 में वर्णित अपील सम्बन्धी प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकरणों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट आयुक्त उपनिवेशन के समस्त कृत्यों का पालन करने और समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एतद द्वारा नियुक्त करती है। इस अधिसूचना के निरन्तरता में राज्य सरकार की अधिसूचना सं. प. 4(17)राज./उप/84/मार्च 26, 1991 द्वारा Alloting Authority कलक्टर की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को Delegate की गई है तथा प्रकरण हाजा की आराजी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में निहित होकर नवसृजित अनूपगढ उपखण्ड का हिस्सा है जो दिनांक 1972 के नियम 2(ii) के प्रावधान अनुसार उपखण्ड अनूपगढ आवंटन अधिकारी है तथा राज.उप.अधि. 1954 की धारा 5(3) के अनुसार अधी. न्यायालय का निर्णय हस्तक्षेप योग्य है। सन्दर्भ प्रावधान की Bare reading है कि Appeal to Revenue Appellate Authority. Section 5 of the Rajasthan Colonisation Act provides "except as other wise provided in this Ac", the laws relating to agricultural tenancies, the power, duties, jurisdiction and procedure of revenue courts etc. shall be applicable to the tenancies held and the proceedings conducted under the Rajasthan Colonisation Act. So against the order of Collector canceling the allotment under Section 11/14 of the Colonisation Act, the first appal shall lie to the Revenue Appellate Authority and against the order of the Revenue Appellate Authority passed in appeal, the second appeal shall lie to the Board of Revenue.

अपीलांट का पिता पोंग बांध निर्माण का सदभावी विस्थापित है बाबत विभिन्न न्यायिक निर्णयों में जो विवेचित है उसका सार रूप में पोंग बांध भारत सरकार की महती परियोजना होकर इसके विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें ही नहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें सकारात्मक भूमिका निभाते हुए निर्देशात्मक आदेश जारी किये हैं जिसमें आर.आर.डी.1985 पेज 430 में निर्देश प्रदान किये गये हैं कि :–

Allotment in fabour of Pong dam oustee- canclation of ground that allottee not cultivaty land personly- if lands allotted to Pong Dam oustee for which sale prise fixed and instalment pail by the allottee are allowed to be cancelled on in adequate or after following defecting procedure it would result in serious allegation of not honouring commitment in aggrement between States of H-P and Rajasthan.

2/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट पैटीशन (सी) नं. 439 आफ 1992 निर्णित दिनांक 26.07.1996 प्रदेश पोंग बांध विस्थापित समिति एवं अन्य बनाम युनियन आफ इण्डिया अदरस में माननीय आनरेबल जस्टिस एस.पी. बडोचा एवं एस.पी. मजमनूदार ने पोंग बांध की समस्या, समाधान, निदान के विस्तृत निर्देश दिये हैं जिनमें से इस अपील से संदर्भित सुसंगत अंश इस प्रकार है:–

Para 20-Residents of the state of Himachal Pradesh were ousted from their lands by the impounding of the waters. The State of Rajasthan agreed with the state of Himachal Pradesh to re-settle them. Twenty-four years later they are not all settled. Irrigable land,water, roads, schools and dispensaries and not available to all oustees allotted land is the state of Rajasthan.

Para 22- That the provisions of Rules 6(4),(5) and (6) have been nisused has been indicated in Rule 8-AAA itself and in the affifavit of the State of Rajasthan filed pursuant to the order of 22nd Febuary, 1996; Rules 8-AAA provides for the review of all orders of cancallation under Rule 6(4) where, subsequently, orders under Rule 8-AAA had been issued" except those orders which were passed after hearing the allottee in person."

----------Rule 8-AAA states , as already noted, that a review was required because the oustee allottees had been deprived of allotments in breach of the provisions of natural justice.

Para 23- It is reasonable to assume that upon dispossession the oustee allottee would have retreated to his native state of Himachal Pradesh. It is manifestly absurd to expect him to read the Rajasthan Gazette and make a review application under the provisions of Rule 8-AAA within 60 days of its publication.

Para25- We have drawn attention to the broad sweep of the prayers of the writ petion. Mr. Aruneshwar Gupta has also invited us to give appropriate directions. We think that directions are necessary if the oustees are to get their due; We are left in no doubt that the state of Rajasthan has disfavoured them and favoured the Rajasthan and has made rules and implemented them with that in mind.

पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को एक अन्य दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। पोंग बांध विस्थापितों को राजस्थान सरकार द्वारा जो भूमि आवंटित की गई वह उनको मुआवजे के रूप में आवंटित की गई थी। इनकों किये गये आवंटन में त्रुटियां ढूंढकर इनका आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। ए.आइ. आर.1995 राज. पेज 211 के न्यायिक दृष्टांत निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है:

2/4/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Para 29-30:- The matter can also be looked into yet from her angle. The aim and object of allotment appear to be the resettlement and rehabilitation of the oustee. Since their valuable lands, homes and huts had been acquired for the purpose of construction of Pong Dam and they were on road, it was under these circumstances , under the provisions of the land Acquisition Act they were rehabilitated in the State of Rajasthan and lands were allotted to them. How can, thus , the provisions made in these rules have the effect of nullifying the provisions of the land Acquisition Act which is a Central Legislation. The rules, thus , wherever they go inconsistent with the provisions of the Land Acquisition Act it would be the Provisions contained in the Central Act which would prevail Thus, no fault can be found in the allotments made to each of these Petitioners and moreover we would not like to unsettle the things which have been settled after due deliberations as back as in 1966 and the allotment was made for consideration which according to the petitioners have been fully made up.

For the reasons recorded above, these writ petitions are allowed the impugned orders are quashed and it is held that the land was rightly allotted to each of the petitioners. The proceedings initiated for cancellatio of the allotment and consequential orders are hereby struck down as wholly illegal and un warranted.

पोंग बांध विस्थापितों को पुनर्वास करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता (commitment) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों व प्रस्तुत न्यायिक सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पौंग बांध विस्थापितों के मामलों में सहानुभूति एवं उदारता का रूख अपनाया जाना चाहिए तथा उनका वाजिब हक दिलवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। पौंग बांध विस्थापित मूल आवंटी होशनाकु का आवंटन बहाल किया जाकर सक्षम प्राधिकारी मूल आवंटी के वारिसान, अपीलांट से किश्तें मय ब्याज राजकोष में जमा करवाकर उसके नाम अंकन की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/2/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर